अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पत्रांक–भवन / स्था0–02–विविध–947 / 2016 9096(27)

(30)

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा:– वित्त विभाग।

पटना दिनांक– 10/10/17

विषय:– सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनने की कार्ययोजना के क्रियान्वन हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/– (बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10 (दस) भवन कार्य प्रमंडल में गठित विशेष सेल के लिए 1 X 10 = कुल 10 सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक–19.09.2017 की बैठक में मद संख्या–18 के रूप में भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनने की कार्ययोजना के क्रियान्वन हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/– (बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10 (दस) भवन कार्य प्रमंडल में गठित विशेष सेल के लिए 1 X 10 = कुल 10 सहायक अभियंता (असैनिक) **(यथा परिशिष्ट–1)** के पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त पदों के स्थापना व्यय का वहन गैर योजना अन्तर्गत माँग संख्या–3 के तहत गैर योजना मुख्यशीर्ष–2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन–उपशीर्ष–0004–निष्पादन, विपत्र कोड–03 2059800010004 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्थापना व्यय की निकासी हेतु संबंधित कार्यालय प्रधान (कार्यपालक अभियंता) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इस राज्यादेश के अन्तर्गत राशि की निकासी संबंधित कोषागार, बिहार से की जाएगी।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

6/X/17

(ब्रजनन्दन प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– 9096(27) पटना, दिनांक:– 10/10/17

प्रतिलिपि:– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/X/17

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:– 9096(27) पटना, दिनांक:– 10/10/17

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव / सचिव, वित्त विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग / आपदा प्रबंधन विभाग / बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (आपदा प्रबंधन विभाग) / माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / अपर सचिव / संयुक्त सचिव / अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग / निदेशक, अनुश्रवण–सह–मूल्यांकन कोषांग / सभी मुख्य अभियंता / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव / मुख्य वास्तुविद / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / प्रभारी पदाधिकारी (निगरानी) / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / बजट प्रशाखा (मु0) एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/X/17

सरकार के अपर सचिव।

परिशिष्ट–1

भवन निर्माण विभाग के अधीन सरकारी भवनों के सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनाने की कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु भवन कार्य प्रमंडलों में गठित विशेष सेल के लिए प्रस्तावित 10 सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों की व्यय विवरणी:–

क्र0 सं0	संबंधित कार्य प्रमंडलों का नाम, जहाँ विशेष सेल का गठन प्रस्तावित है	कार्यक्षेत्र	प्रस्तावित पद/पदनाम/वेतनमान (पे बैण्ड एवं ग्रेड पे)	प्रस्तावित पदों की संख्या	मूल वेतन	ग्रेड वेतन	मँहगाई भत्ता @ 136%	मकान किराया भत्ता @ 10%	चिकित्सा भत्ता	परिवहन भत्ता	कुल वेतन प्रतिमाह	अनुमानित वार्षिक वेतन व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	–भवन अंचल, मुजफ्फरपुर	सहायक अभियंता (असैनिक) पे बैण्ड–2 (9300–34800), ग्रेड पे–5400/– (अपुनरीक्षित)	10 X 1 = कुल 10	14,880	5,400	27,580	2028	200	0	50,088 X 10 = 500880	60,10,560	
2.	भवन प्रमंडल, दरभंगा	–भवन अंचल, दरभंगा											
3.	भवन प्रमंडल, पूर्णियाँ	–भवन अंचल, पूर्णियाँ											
4.	भवन प्रमंडल, सहरसा	–भवन अंचल, सहरसा											
5.	भवन प्रमंडल, मोतिहारी	–भवन अंचल, मोतिहारी एवं छपरा											
6.	भवन प्रमंडल, गया	–भवन अंचल, गया											
7.	भवन प्रमंडल, मुंगेर	–भवन अंचल, मुंगेर एवं भागलपुर											
8.	भवन प्रमंडल, आरा	–भवन अंचल, आरा											
9.	केन्द्रीय भवन प्रमंडल, पटना	–दक्षिण बिहार अंचल											
10.	पटना सिटी भवन प्रमंडल, पटना	–पटना अंचल											

स्थापना व्यय = 60,10,560/–

कार्यालय व्यय @ 20% = 12,02,112/–

कुल व्यय = 72,12,672/–

(वहत्तर लाख बारह हजार छः सौ वहत्तर रूपये)

6/XII

(ब्रजनन्दन प्रसाद)

सरकार के अपर सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–8367 दिनांक–14.09.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.09.2017 में मद संख्या–18 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

18.	सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनने की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/–(बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10 (दस) भवन कार्य प्रमंडल में गठित विशेष सेल के लिए 1X 10= कुल 10 सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों का सृजन।	18. स्वीकृत।

21/9/17
(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

20/9/17

21/9/17

S.O-2
श्री नीरज जी
22.9.2017

उपर्युक्त दिनांक- 19.09.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही (मद संख्या-18) का अवतरण कृपया द्रष्टव्य है।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनाने की कार्ययोजना के क्रियान्वन हेतु गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/- (बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10 (दस) भवन कार्य

भवन निर्माण विभाग

.....

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–8367 दिनांक–14.09.2017 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–19.09.2017 में मद संख्या–18 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

18.	सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनने की कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु भवन निर्माण विभाग के अधीन गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/–(बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10 (दस) भवन कार्य प्रमंडल में गठित विशेष सेल के लिए 1X 10= कुल 10 सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों का सृजन।	18. स्वीकृत।

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

S.O-2
श्री नीरज जी
22.9.2017

उपर्युक्त दिनांक- 19.09.2017 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही (मद संख्या-18) का अवतरण कृपया द्रष्टव्य है।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत सरकारी भवनों को सुदृढ़ीकरण (Retrofitting) द्वारा भूकम्परोधी बनाने की कार्ययोजना के क्रियान्वन हेतु गैर योजना मद के अन्तर्गत ₹ 72,12,672/- (बहत्तर लाख बारह हजार छः सौ बहत्तर रूपये) के अनुमानित वार्षिक व्यय पर 10(दस) भवन कार्य